फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

कपूर सिंह बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र अ0धा0 136 एल.आर.ए. मु0नं0–69 / 2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल. आर.ए. इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बावनपाडा तह0 सिकराय जिला दौसा में वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.7500 है0 चाही भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीगण ने बोरिंग कर रखा है, उक्त भूमि के सेटलमेण्ट से पूर्व आराजी खसरा नम्बर 1037 रकबा 3 बीघा थे। यह है कि तहसील सिकराय में वर्ष 2008 में भूप्रबंध विभाग की कार्यवाही हुई थी भू प्रबंध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 1037 रकबा 3 बीघा ग्राम बावनपाडा के नये खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.7500 है0 बनाये लेकिन वर्तमान नक्शाशीट पूर्व की नक्शाशीट अनुसार नहीं बनाए गए है एवं नई नक्शाशीट में नक्शा कम हो गया है जिसका क्षेत्राधिकार भूप्रबंध विभाग को नहीं था। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.7500 है0 वाके ग्राम बावनपाडा की वर्तमान नक्शाशीट को रकबा पूर्ण करते हुए दुरूस्त कर सेटलमेन्ट पूर्व नक्शाशीट अनुसार किया जावे। इत्यादि पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सिकराय से जवाब तलब किया गया। तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रकरण में बिन्दुवार जवाब पेश किया गया है। जवाब तलब कर प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी की भूमि का साबिक नक्शाशीट में तरमीम सही थी लेकिन भूप्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार के प्रार्थी की भूमि के नक्शाशीट को छोटा कर दिया जो कि तहसीलदार सिकराय के जवाब से भी साबित है। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सिकराय द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि विवादित भूमि की वर्तमान एवं भू प्रबंध से पूर्व के नक्शे को मिलान करने पर दोनो में अन्तर आता है। माप के अनुसार रकबा बरारी करने पर वर्तमान नक्शे मे 300 वर्गमीटर का अन्तर आता है। तथा जवाब स्टेट मे यह भी अंकित किया है कि उपरोक्तानुसार दुरूस्ती करने पर रकबा सही हो जाएगा। ———— लगातार उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	

तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट में वर्तमान एवं साबिक नक्शाशीट भी प्रदर्शित की गई है जिसके अवलोकन से यह बखूबी स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी की भूमि की तरमीम नक्शाशीट में सेटलमेण्ट से पूर्व एवं वर्तमान नक्शाशीट में अन्तर कर दिया गया है जो कि भू प्रबंध विभाग के क्षेत्राधिकार के विषय नहीं था तथा नक्शाशीट में परिवर्तन से प्रार्थी की भूमि का रकबा भी कम हो गया है। तथा तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट में भी यह अंकित किया गया है कि यदि साबिक नक्शाशीट अनुसार दुरूस्ती की जाती है तो प्रार्थी की भूमि का रकबा सही हो जाएगा। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.7500 है0 की नक्शाशीट में तरमीम मुताबिक साबिक नक्शाशीट साबिक खसरा नम्बर 1037 अनुसार किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को प्रदान किए जाते है। तहसीलदार सिकराय प्रार्थी की भूमि की तरमीम सैटलमेण्ट से पूर्व की तरमीम अनुसार राजस्व नक्शाशीट में करें। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा